मोहम्मद इकबाल बनाम मोहम्मद इशाक व अन्य

अपील / एलआर / 2019 / 00049

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी:– श्री घनश्याम सिंह लखावत रेस्पो.सं. 01 श्री अशोक नाथ योगी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-10-22	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता पर निर्णयार्थ पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 05.10.2020 व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 10.12.2020 की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसके आधार अपीलान्ट मोहम्मद इकबाल का दिनांक 21.01.2020 को मृत्यु होने के पश्चात भी कोई वारिसान रेकार्ड पर नही आने से अपील शुन्य प्रभावी हो चुकी है। प्रार्थी भगवानराम पुत्र पेमाराम जाट द्वारा खसरा नम्बर 587 रकबा 65–13–00 बीघा का 3/4 हक, हिस्से की भूमि पंजिकृत विक्रय पत्र से दिनांक 09.06.2017 को कय करने से अपील मे पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा अपीलान्ट की यह अपील चलने योग्य नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। संभागीय आयुक्त अजमेर	